कमिश्नर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश

उपस्थितः- श्री दीपक कुमार ,कमिश्नर वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :- **सर्वश्री जिन्दल फोटो लि0,आफिस 35 किमी0 दिल्ली हापुड़ रोड,जिन्दल नगर ,गाजियाबाद ।**

प्रा0प0सं0- **287/2008**

प्रार्थी की ओर से- **श्री आर0पी0सिंघल, मैनेजर सेल्स ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1- प्रार्थी के द्वारा दिनांक 06-06-2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की धारा-59 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें **Thermal film,Mammography film,Imaging film and Dry film** पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है।

2- ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्य कर,गाजियाबाद संभाग-बी,गाजियाबाद से आख्या प्राप्त की गयी । प्राप्त आख्या में उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी के अनुसार उनके द्वारा Dry film,Imaging film, Mammography film and Imaging film का आयात किया जाता है। इसका प्रयोग विभिन्न उपकरण जैसे एम0आर0आई0मशीन ,सी0टी0स्कैन मशीन आदि में होता है व यह सभी Medical X-ray film के अन्तर्गत आती है तथा वास्तव में Medical film है । Medical film स्वंय निर्मित X-ray film की भांति इन पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता है। ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक) के अनुसार X-ray film को Medical X-ray film भी कहा जा सकता है परन्तु अन्य सभी Medical film या Imaging film या Medical Imaging film को X-ray film की श्रेणी में नहीं कहा जा सकता है। कामन पारलैन्स में भी X-ray film अथवा X-ray उस Medical film को कहते है जिस पर Image X-ray Machine से प्राप्त की गयी होती है। धारा-59 के प्रार्थना पत्र में अंकित film Imaging film की श्रेणी में आती है तथा यह X-ray film से भिन्न है। अतः इस पर 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता है।

3- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री आर0पी0सिंघल, मैनेजर सेल्स उपस्थित हुयें ,बताया कि वैट अधिनियम की अनुसूची -2 के भाग-क के कमांक 99 पर **Photographic paper; X-ray film** की प्रविष्टि है। उनके द्वारा आयात की जाने वाली **Thermal film,** Mammography *film,* Imaging film and Dry film का प्रयोग CR [Digital] *X-ray System,CT machine* or MRI *machine* में *X-ray, CT 0r* MRI image को प्रिंट करने में होता है।उक्त *films* का प्रयोग X-ray Machine के द्वारा X-ray printing में होता है। इस कारण यह उक्त प्रविष्टि में X-ray *films* के अन्तर्गत आने के कारण इस पर 4प्रतिशत की दर से करदेयता होनी चाहिए । FUJI FILM Corporation ,JAPAN जिनसे वह उपरोक्त *films* आयात करते है , के कामर्शियल इन्वायस में भी गुडस् डिसक्रिप्शन में

क्रमशः पृष्ठ 2 पर /

सर्वश्री जिन्दल फोटो लि0,आफिस 35 किमी0 दिल्ली हापुड़ रोड,जिन्दल नगर ,गाजियाबाद
प्रा0प0सं0- 287/2008

Medical X-ray film अंकित है। इस सम्बन्ध में कामर्शियल इन्वायस की छाया प्रतियॉ प्रस्तुत की है। कस्टम अथारिटी के द्वारा भी उक्त films Medical X-ray film के अन्तर्गत क्लियर की गयी है।

4- मैनें व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों , प्राप्त विभागीय आख्या व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्को का परिशीलन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कामर्शियल इन्वायस बिल आफ इन्ट्री फार होम कन्जम्पशन को देखने से स्पष्ट होता है कि Thermal film, Mammography film, Imaging film and Dry film" X-ray film " के अन्तर्गत आती है। अतः इन पर वैट अधिनियम की अनुसूची -2 के भाग-क के क्रमांक 99 की प्रविष्टि के अनुसार इस पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता है।

5- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

दिनांक :: 8,अगस्त,2008

ह0 8.8.08
(दीपक कुमार)
कमिश्नर वाणिज्य कर ,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।